न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
पीठासीन अधिकारी - श्री शिवपालसिंह मीना R.A.S

मु.नं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
10/18	26.02.2018	16/04/2018

अजराज

[1] श्योराम पुत्र नन्द किशोर जाति अहीर निवासी मासूपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)

-प्रार्थी

बनाम

[1] शेरसिंह
[2] सत्यनारायण पुत्रान नन्द किशोर
[3] किशोरी देवी पत्नी मुंशीराम
[4] रघुवीर सिंह
[5] जयनारायण
[6] योगेश्वर सिंह पुत्रान मुंशीराम
[7] रामवती
[8] सुमन देवी
[9] सीमावती
[10] बर्फी देवी पुत्रीगण मुंशीराम जाति अहीर निवासी मासूपुर तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज.)
[11] लैण्ड रिकार्ड जरिये तहसीलदार ह० कोटकासिम (अलवर) राज.

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :-
[1] श्री सुनील यादव अभिभाषक प्रार्थी
[2] " विनोद यादव अभिभाषक अप्रार्थीगण 1 लगा. 10

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

प्रार्थी ने मय अभिभाषक न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अं.धा. 136 भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया

लगातार

Scanned by CamScanner

जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विवादित खातेदारी खाता ख० नं० 27/0.01, 28/1.68, 228/0.62, 234/0.23, 243/0.23, 262/0.37, 266/0.30, 267/0.26, 437/0.48 हैक्टेयर वाके ग्राम नाथूवास तहसील कोटकासिम जो कि प्रार्थी, अप्रार्थीगण 1 व 2 का 1/2 भाग तथा अप्रार्थीगण 3 लगा. 10 के पिता/पति श्री मुन्शीराम पुत्र गोपाल अहीर का 1/2 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2070-73 है मुन्शी की मृत्यु हो चुकी है कि प्रार्थीगण हाल में जिनके वारिसान को अप्रार्थीगण 3 लगा. 10 दर्ज किया गया है। उपरोक्त खातेदारी का राजस्व लोक अदालत अभियान 2015 दिनांक 5.6.2015 स्थान खैरथल में सहमति पत्र के आधार पर विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में पटवारी हल्का द्वारा अमल दरामद किया गया। बक्त विभाजन ख० नं० 437 रकबा 0.48 है० का नया नम्बर 437/580 रोड़ हैड सहमति/व्यवस्थापन अप्रार्थीगण 1 व 2 तथा प्रार्थी के हिस्से में कायम किया गया तथा 437/581 अप्रार्थीगण 3 लगा. 10 के पिता/पति मुन्शीराम के हिस्से में कायम किया गया था। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि ख. सं. 437 को अलग जो नम्बर विभाजन में कायम किये गये उनका विभाजन पत्र में जरिये अमल दरामद हुये 1/2, 1/2 भाग का किया जाना था जो कि ख. सं. 437/0.48 है० जो कि 1/2 प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 व 2 के हिस्से में 0.24 है० आता है तथा 1/2 हिस्सा रकबा 0.24 है० अप्रार्थीगण 3 लगा. 10 के पिता/पति मुन्शीराम के हिस्से में आता है। जबकि राजस्व अभियान 2015 में विभाजन करते समय ख. सं. 437/580 रकबा 0.13 व 437/581 रकबा 0.13 है० दर्ज कर दिया जो गलत है। इसलिये इसे शुद्ध किया जावे (ख. नं. 437/580 व 437/581 में दर्ज रकबा 0.13 है० को हटा कर उसके स्थान पर 0.24, 0.24 है० दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को [illegible] तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगा. 10 की ओर से श्री विकास यादव अधिवक्ता ने वकालतनामा व अपना जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया जिसमें स्वीकार किया कि बक्त विभाजन ख.सं. 437 रकबा 0.48 है० के नये नम्बर में रकबा 0.13, 0.13 दिया को

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

लगातार —

Scanned by CamScanner

जाता है जबकि 1/2, 1/2 भाग में रकबा 0.24 व 0.24 हे० होना चाहिये। ऐसा कार्य सरकार तहसीलदार कोटकासिम कौमी यही कारण है कि ख. नं. 437 रकबा 0.48 हे० का विभाजन करते वक्त गलत से रकबा 0.13, 0.13 दर्ज किया गया जबकि 0.24, 0.24 हे० होना चाहिये। अतः दुरुस्त किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि राजस्व अभियान कैम्प 2015 दिनांक 5.6.2015 स्थान मौका में सहमति पत्र (इकरारनामा) के आधार पर विभाजन किया। विपक्षीगण खातेदारों के साथ मिलकर ख.नं. 437 को छोड़कर 1/2, 1/2 भाग नहीं दर्ज कर दिये जबकि ख.नं. 437 के नये नम्बर में 437/580 रकबा 0.13 हे०, 437/581 रकबा 0.13 हे० दर्ज कर दिया। जबकि ख.नं. 437 रकबा 0.48 हे० है जिसका 1/2 भाग 0.24 हे० व 0.24 हे० होना चाहिये था। इसलिए ख.नं. 437/580 में जिन प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का रकबा 0.24 व अप्रार्थी सं. 3 लगा. 10 का रकबा 0.24 दुरुस्त किया जावे।

विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व अभियान कैम्प 2015 दिनांक 5.6.15 का अवलोकन किया जिसमें ख.नं. 437/580 रकबा 0.13 हे० में रोशनलाल, मदनलाल, रमेश पि. नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण दर्ज खातेदार काश्तकार एवं ख.नं. 437/2581 रकबा 0.31 हे० में सुरजीराम पुत्र गोपाल कौम जाति दर्ज खातेदार काश्तकार जमाबन्दी सं. 2070-73 का अवलोकन किया जिसमें ख.नं. 437 रकबा 0.48 हे० है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 का 1/2 भाग रकबा 0.24 हे० व अप्रार्थीगण सं. 3 लगा. 10 का 1/2 भाग रकबा 0.24 हे० होना चाहिये। विभाजन में रकबा 0.13, 0.13 हे० दर्ज किया है वो दुरुस्ती योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विभाजित खसरों ख.नं. 437/1/580 रकबा 0.13 हे० के स्थान पर रकबा 0.24 हे० प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 एवं 437/2/580 रकबा 0.13 के स्थान पर रकबा 0.24 हे० माना जावे -

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

[4]

आबूवास तहसील कोटकासिम में रकबा 0.25 है० अधिशाषी [illegible] पं.स. खसरा 10 के नाम शुद्ध किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। तहसीलदार कोटकासिम को [illegible] जावे है।

निर्णय आज दिनांक 16/04/2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)